



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

आली- आवश्यक

क्रमांक:- एफ 20(6)(66)निमअ/बजट/2020-21/19335-68 जयपुर, दिनांक:- 23-9-2020

1. उप/सहायक निदेशक,  
महिला अधिकारिता,  
समस्त।
2. सदस्य सचिव,  
राजस्थान राज्य महिला आयोग।

विषय :- आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक अनुमान एवं वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान गतवर्ष की भांति प्रतिवर्ष नियमित प्रक्रिया के अधीन प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को सुनिश्चित समयावधि में तैयार कर प्रेषित करने हैं। अतः समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आय-व्ययक अनुमान तैयार करने से पूर्व आय-व्ययक नियमावली के अध्याय 10 तथा वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.4(196)वित्त-1(1)आ.व्य./2020 दिनांक 08.09.2020 द्वारा जारी परिपत्र (प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट, बजट डिवीजन से डाउन लोड करें) में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रपत्र 1 से 11 की सूचना दिनांक 30.09.2020 तक ऑनलाईन तैयार करके विभाग को फॉरवर्ड करें तथा हार्डकॉपी ईमेल द्वारा आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।


विवरण की सत्यता के लिए कार्यालयाध्यक्ष इस आशय का प्रमाण-पत्र देवें "प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली गई है और इसे सही पाया गया है"।

  
(ओ.पी.मीना)

वित्तीय सलाहकार  
महिला अधिकारिता  
राज0, जयपुर

क्रमांक:- एफ 20(6)(64)निमअ/बजट/2020-21/19369-70 जयपुर, दिनांक:- 23-9-2020  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (म.अ.) मुख्यालय
2. प्रोगामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार  
महिला अधिकारिता